कार्यालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

www.jaipur.nic.in

क्रमांक / सहायता / बाढ़ / मरम्मत / 2025–26 / 1628

दिनांक : 06/11/25

प्रशासनिक स्वीकृति

शासन उप सचिव, आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक एफ. 8(37)आ.प्र. एवं सहा. / बाढ़ / प्रस्ताव / 2025 / RAJKAJ REF NO. 18514620 दिनांक 29.10.2025 द्वारा जिला जयपुर में मानसून वर्ष 2025 में बाढ से क्षतिग्ररत बांध / नहर की तात्कालिक अरथाई मरम्मत एवं पुनरूत्थान हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 188 / 2025–26 प्रदान की गई है, के अनुसरण में जिला जयपुर के अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड, जयपुर के ब्लॉक जमवारामगढ क्षेत्र के प्रस्तावित मरम्मत कार्यो की उपखण्ड स्तरीय कमेटी की अभिशंषा अनुसार नीचे अंकित मरम्मत कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। विवरण इस प्रकार है : –

कार्यकारी अभिकरण : अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड–जयपुर

ब्लॉक :– जमवारामगढ़

क्र.सं.	कार्य का नाम	राशि (लाखों में)
1	दांतली बांध की पाल का मरम्मत कार्य किमी. 0.20	2.00
2	नीमला बांध की पाल का मरम्मत कार्य किमी. 0.30	2.00
3	नेवर बांध की पाल का मरम्मत कार्य किमी. 1.50	2.00
4	बिरासना बांध की पाल का मरम्मत कार्य किमी. 1.50	2.00
5	भैरू सागर बांध की पाल का मरम्मत कार्य किमी. 0.60	2.00
6	राम्यावाला बांध की पाल का मरम्मत कार्य किमी. 0.50	2.00
7	रायवाला बांध की पाल का मरम्मत कार्य किमी. 0.50	2.00
8	भानपुर बांध की पाल का मरम्मत कार्य किमी. 0.30	2.00
	योग	16.00

उक्त राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान निम्नलिखित बजट मद से किया जावेगा :–

2245 – प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत
02 – बाढ़, चक्रवात आदि
122 – खराब सिचाई तथा बाढ नियंत्रण संबंधी निर्माण कार्यो की मरम्मत तथा पुनः स्थापना
(02) – बाढ़ से प्रभावित खराब सिचाई एवं निर्माण हेतु सहायता
[01] – [बाढ़ से प्रभावित खराब सिचाई एवं निर्माण हेतु सहायता]
21 – अनुरक्षण एवं मरम्मत (मेन्टीनेन्स) प्रतिबद्ध (केन्द्रीय सहायता 75% एवं राज्य निधि 25%)

उपरोक्त मरम्मत कार्य निम्न शर्तों के अधीन शर्तों के अधीन करवाये जावेंगे।

1. उपरोक्त मरम्मत कार्य आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान के दिशा–निर्देश क्रमाक RAJKAJ REF NO. 16877134 दिनांक 30.07.2025 एवं प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति आदेश RAJKAJ REF NO. 18514620 दिनांक 29.10.2025 में अंकित शर्तों एवं राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के निर्धारित मानदण्डों के अनुसार तथा इस कार्यालय द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशानुसार करवाये जावेगें।
2. वे कार्य जो Defect Liability Period के तहत आते हैं उनकी मरम्मत राशि राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) मद से देय नहीं होगी।
3. कार्यकारी अभिकरण की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरएफ मापदण्डों के अनुसार अनुमत कार्य ही करवाया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Jit[...]ra Kumar Soni
Designation : Collec[...] & District Magistrate
Date: 2025.11.0[...]:23:44 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 18623118

4. ये सभी कार्य प्रारम्भ किए जाने की तिथि से 30 दिवस की निर्धारित अवधि में ही पूर्ण कराने होंगें। निर्धारित अवधि तक कार्य पूर्ण न होने की स्थिति में आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान द्वारा जारी कोष से मरम्मत कराये जाने संभव नहीं होगें, कार्यकारी अभिकरण द्वारा विभागीय बजट से पूर्ण कराये जावेगें।
5. प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार स्वीकृत करवाये गये कार्य एसडीआरएफ मापदण्ड एवं प्रावधान अनुसार ही करवाया जावेगा, इसका प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा।
6. कार्यकारी अभिकरण उक्त कार्यो के तकमीना तथा तकमीना स्वीकृति के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र भी जारी कर भिजवाना सुनिश्चित करेगें कि ***उनके पास राज्य बजट मद अनुरक्षण एवं सामग्री मद में वित्तीय वर्ष 2025–26 में राशि उपलब्ध नहीं है तथा उक्त मद में राशि उपलब्ध होने पर राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) मद से राशि का आवंटन नहीं किया जा सकेगा। वित्तीय वर्ष के अन्त में राशि अवशेष रहने पर राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) मद को अवशेष राशि पुनर्भरण कर दी जावेगी।***
7. **स्वीकृत अनुदान राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजना के दिशा–निर्देश, तत्सम्बन्धी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावें।**
8. कार्यकारी अभिकरण बिना वित्तीय स्वीकृति प्राप्त किए बिना कार्यारम्भ नहीं करेगें, अगर कार्यारम्भ किया जाता है, तो कार्यकारी विभाग के बजट मद से मरम्मत राशि वहन की जावेगी। समयावधि में उपयोग न हो सकने वाली राशि बिना किसी विलम्ब से समर्पित की जावे।
9. उपरोक्त मरम्मत कार्यो के तकमीना/तकनीकी स्वीकृति कार्यकारी अभिकरण द्वारा जारी किये जाने के उपरान्त ही इस कार्यालय द्वारा वित्तीय स्वीकृति जारी की जावेगी।
10. उपरोक्त मरम्मत कार्यो की गुणवत्ता सुनिश्चित की जावे। इस हेतु संबंधित उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार/सहायक अभियन्ता, सा.नि. विभाग, मरम्मत कार्यो की गुणवत्ता की सुनिश्चितता बनाए रखने हेतु समय–समय पर निरीक्षण करें तथा उपखण्ड स्तरीय समिति निर्धारित अवधि में कार्यपूर्णता का निर्धारित पूर्ण प्रमाण पत्र प्रेषित करेगी।
11. अंकित कार्यो पर व्यय का अंकेक्षण होने पर अंकेक्षण कराने, आक्षेप अनुपालना पूर्ण कराने की जिम्मेदारी कार्यकारी अभिकरण की होगी।
12. **उक्त प्रशासनिक स्वीकृति में स्वीकृत कार्यों में से यदि मरम्मत कार्य विभागीय बजट मद से पूर्ण करवा लिये गये हैं, तो उन कार्यों की तकनीकी स्वीकृति जारी नहीं की जावे।**

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर,
जयपुर

क्रमांक/सम/ 1629 दिनांक : 06/11/25

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड–जयपुर।
4. उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़।
5. तहसीलदार, आंधी/जमवारामगढ़।
6. गार्ड पत्रावली।

जिला कलक्टर,
जयपुर

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2025.11.0[illegible]:23:44 IST
Reason: Approved